राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय–3) विभाग

क्रमांक प.6(5)वित्त/व्यय–3/2021 जयपुर, दिनांक 06/07 अगस्त, 2021

परिपत्र

बजट घोषणा संख्या 6/2021–22 के बिन्दु संख्या 2 के क्रियान्वयन हेतु शहरी क्षेत्र के street vendors तथा service sector के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए "**इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–2021**" स्वायत्त शासन विभाग के अधीन प्रारम्भ करने के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

1. परिचय–

वैश्विक महामारी कोविड–19 की परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु बजट घोषणा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 2 के क्रियान्वयन हेतु इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–2021 लागू की जाती है।

इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग–पेंट करने वाले, नल–बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर पुर्नस्थापित करना है।

2. उद्देश्य–

यह योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारण्टी के, ब्याज रहित माइक्रो– क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के निम्न उद्देश्य है–

- रुपए 50000/–(पचास हजार) तक का ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना।
- स्व–रोजगार को प्रोत्साहित करना।
- रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड–19 के दुष्प्रभाव को कम करना।

यह योजना राजस्थान राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले **5 लाख** लाभार्थियों को मदद कर अर्थव्यवस्था के विकास एवं बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

3. कार्य–क्षेत्रः

यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर परिषद/ नगर निगम की सीमा में) में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी।

योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के अनुसुचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

4. योजना की समय सीमा–

यह योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक योजना के अन्तर्गत नये ऋण स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 03 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।